सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

लेखे एक नजर में
2011–2012

प्रधान महालेखाकार
(लेखे एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

लेखे एक नजर में

2011-2012

प्रधान महालेखाकार
(लेखे एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

'लेखे एक नजर में' हमारा वार्षिक प्रकाशन है।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते हैं और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसाकि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण व ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी है।

प्रकाशन में सुधार के सुझावों से हमें मदद मिलेगी जिसका इन्तजार रहेगा।

सुनील बाहरी

(सुनील कुमार बाहरी)
प्रधान महालेखाकार

स्थान : जयपुर,

दिनांक :26 सितम्बर 2012

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	विहंगावलोकन	
1.1.	प्रस्तावना	1
1.2.	लेखाओं का ढाँचा	1
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4.	निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन	4
1.5.	लेखे की विशिष्टताएं	7
1.6.	अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?	8
अध्याय 2	प्राप्तियां	
2.1.	प्रस्तावना	10
2.2.	राजस्व प्राप्तियां	10
2.3.	प्राप्तियों का रूझान	11
2.4.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली	12
2.5.	कर संग्रहण की दक्षता	13
2.6.	केन्द्रीय करों के राज्यांश में रूझान	13
2.7.	सहायतार्थ अनुदान	14
2.8.	लोक ऋण	14
अध्याय 3	व्यय	
3.1.	प्रस्तावना	15
3.2.	राजस्व व्यय	15
3.3.	पूंजीगत व्यय	17
अध्याय 4	आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय	
4.1.	व्यय का वितरण	19
4.2.	आयोजना भिन्न व्यय	19
4.3.	आयोजना व्यय	20
4.4.	बचनबद्ध व्यय	21
अध्याय 5	विनियोग लेखे	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश	22
5.2.	बचत/आधिक्य का रूझान	22
5.3.	महत्वपूर्ण बचत	23
अध्याय 6	सम्पत्तियां एवं दायित्व	
6.1.	सम्पत्तिया	24
6.2.	ऋण एवं देयता	24
6.3.	गारन्टियां	25
अध्याय 7	अन्य मदें	
7.1.	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम	26
7.2.	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	26
7.3.	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	27
7.4.	लेखों का अंक मिलान	27
7.5.	व्यय की प्रचुरता	28
7.6.	कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	29
7.7.	सारांशीकृत आकस्मिक बिल तथा विस्तृत आकस्मिक बिल	29
7.8.	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता	29

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1. प्रस्तावना

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन किया जाता है । यह संकलन जिला कोषालयों, सार्वजनिक निर्माण एवं वन खण्डों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों पर आधारित है। इस संकलन से, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) वार्षिक रूप से वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखाओं का ढाँचा

1.2.1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग **I** समेकित निधि	राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं अग्रिम
भाग **II** आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस निधि से किये गये व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरित किया जाता है।
भाग **III** लोक लेखा	ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण एवं उचन्त लेन–देन समाहित हैं। ऋण एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाता है। पेशगियां सरकार की प्राप्त होने योग्य प्राप्तियां होती हैं। प्रेषण तथा उचन्त संव्यवहार समायोजन प्रविष्टियां हैं जो लेखे के अंतिम शीर्ष में इन्द्राज से अन्ततोगत्वा समायोजित होती है।

1.2.2. लेखों का संकलन

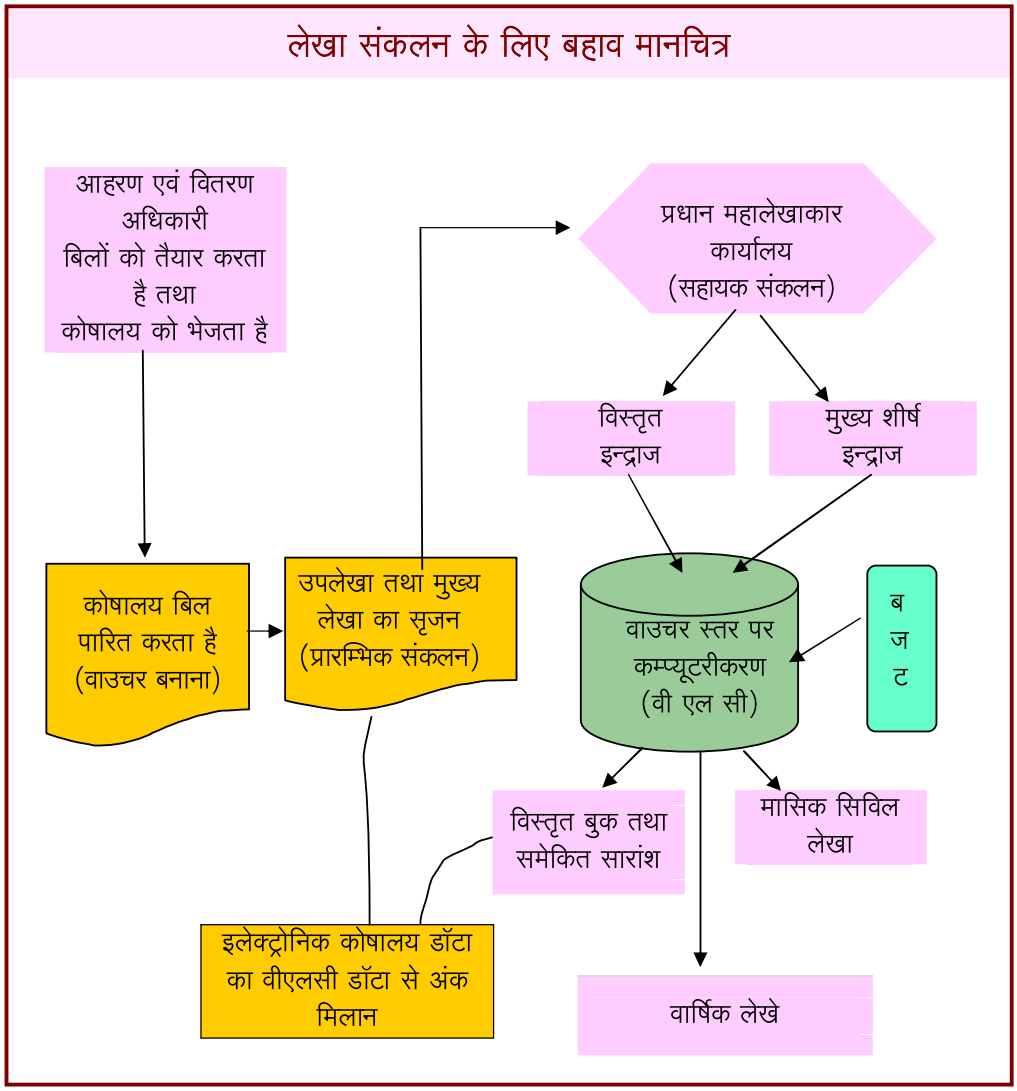
लेखा संकलन के लिए बहाव मानचित्र
आहरण एवं वितरण अधिकारी बिलों को तैयार करता है तथा कोषालय को भेजता है
प्रधान महालेखाकार कार्यालय (सहायक संकलन)
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्ष इन्द्राज
कोषालय बिल पारित करता है (वाउचर बनाना)
उपलेखा तथा मुख्य लेखा का सृजन (प्रारम्भिक संकलन)
वाउचर स्तर पर कम्प्यूटरीकरण (वी एल सी)
ब ज ट
विस्तृत बुक तथा समेकित सारांश
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रोनिक कोषालय डॉटा का वीएलसी डॉटा से अंक मिलान
वार्षिक लेखे

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों तथा वितरणों को दर्शाते हैं, साथ ही लेखों में प्रदर्शित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक लेखे द्वारा वित्तीय परिणाम दर्शाते हैं। वित्त लेखे को अधिक व्यापक और सूचनार्थक बनाने के लिए दो खण्डों में तैयार किये जाते हैं । वित्त लेखे के खण्ड–1 की सूची में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के सारांशीकृत विवरण तथा लेखाओं से टिप्पणियां जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों का विवरण, लेखाओं की गुणवत्ता तथा अन्य मदें हैं, खण्ड–2 में अन्य सारांशीकृत विवरण (भाग–I), विस्तृत विवरण (भाग–II) तथा परिशिष्ट (भाग–III) है।

राजस्थान सरकार की प्राप्तियां तथा वितरण, जैसा कि वित्त लेखे 2011–12 में प्रदर्शित है, नीचे दिये गये हैं:–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल : 61,882)	राजस्व (कुल : 57,011)	कर राजस्व	40,354
		करेत्तर राजस्व	9,175
		सहायतार्थ अनुदान	7,482
	पूंजीगत (कुल : 4,871)	प्राप्तियां	16
		कर्जे तथा अग्रिम की वसूली	1,229
		उधार तथा अन्य दायित्व *	3,626
वितरण (कुल: 61,882)	राजस्व		53,654
	पूंजीगत		7,119
	कर्जे तथा अग्रिम		1,109

* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां–वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक – अंतिम)।

संघ सरकार विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त निधियां हस्तान्तरित करती है । इस वर्ष, भारत सरकार द्वारा ₹ 6,838 करोड़ (वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 8,671 करोड़) सीधे जारी किये गये । चूंकि ये निधियां राज्य बजट से वितरित नही होती हैं, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। ये हस्तान्तरण वित्त लेखे के खण्ड–2 के परिशिष्ट VII में प्रदर्शित किये गये हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर 'भारित' तथा राज्य विधानसभा द्वारा 'पारित' राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। इसमें 4 प्रभारित विनियोजन तथा 51 दत्तमत अनुदान सम्मिलित हैं।

विनियोग अधिनियम, 2011-12 में ₹ 66,234 करोड़ के सकल व्यय तथा ₹ 2,235 करोड़ के व्यय की कमी (वसूलियों) के लिए उपलब्ध कराये गये। इसके विरूद्ध, वास्तविक सकल व्यय ₹ 66,716 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹ 1,344 करोड़ थी, परिणामस्वरूप शुद्ध आधिक्य ₹ 482 करोड़ तथा व्यय की कमी पर ₹ 891 करोड़ (40%) अनुमान से कम रहे। सकल व्यय में ₹ 39 करोड़ के सारांश आकस्मिक बिल (एसी) द्वारा आहरित, शामिल हैं जो कि वर्ष के अन्त तक विस्तृत आकस्मिक बिल (डी सी) की प्रत्याशा में बकाया थे।

2011-12 के दौरान, ₹ 9,535 करोड़ लोक लेखा के अंतर्गत निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में स्थानान्तरित किये गये, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। व्यक्तिगत निजी निक्षेप खातों में बकाया शेष केवल कोषालय के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों के संधारण के लिए वे ही उत्तरदायी है।

1.4. निधियों का स्त्रोत तथा व्यय

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरल स्थिति बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित स्वीकृत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 2.34 करोड़) में यदि कमी आती है, तो अधिविकर्ष (ओडी) की सुविधा प्रदान की जाती है । 2011-12 के दौरान राजस्थान सरकार ने अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष सुविधा नहीं ली गयी।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य में ₹ 3,357 करोड़ का राजस्व अधिशेष तथा ₹ 3,626 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[1] का क्रमश: 0.91% तथा 0.98% था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 5.86% था। यह घाटा लोक ऋण (₹ 2,428 करोड़), लोक लेखा में वृद्धि (₹ 1,259 करोड़) तथा रोकड़ के प्रारम्भिक तथा अंतिम शेष के निवल (₹ 61 करोड़) से पूरित किया गया । राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 57,011 करोड़) का लगभग 51% वचनबद्ध व्यय जैसे, संवेतन (₹ 15,498 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 7,892 करोड़) तथा पेंशन (₹ 5,920 करोड़) पर खर्च हुआ।

[1] सिवाय जहां अन्यथा दर्शाया गया हो, इस प्रकाशन में उपयोजित सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के आर्थिक सर्वे से लिये गये हैं।

धन का स्त्रोत एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्त्रोत	01.04.2011 को प्रारम्भिक नकद शेष	(-) 26
	राजस्व प्राप्तियां	57,011
	पूंजीगत प्राप्तियां	16
	कर्ज तथा अग्रिम की कटौती	1,229
	लोक ऋण	5,918
	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	5,630
	आरक्षित निधियां	1,917
	प्राप्त जमा	1,14,266
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	35
	उचन्त लेखा *	71,725
	प्रेषण	5,618
	आकस्मिक निधि	..
	योग	**2,63,339**

	विवरण	राशि
व्यय	राजस्व व्यय	53,654
	पूंजीगत व्यय	7,119
	दिये गये ऋण	1,109
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,490
	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	2,863
	आरक्षित निधियां	934
	जमा खर्च	1,13,169
	दिये गये सिविल अग्रिम	36
	उचन्त लेखा *	75,312
	प्रेषण	5,618
	31.03.2012 को अंतिम नकद शेष	35
	योग	**2,63,339**

* उचन्त खाते में ₹ 75,297 करोड़ के कोषालय बिलों में निवेश तथा विभागीय शेषों का वितरण तथा स्थायी नकद अग्रदाय सम्मिलित हे, जिन्हें " व्यय " पक्ष की ओर दर्शाया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से (₹ 71,698 करोड़) लागत के कोषालय बिल विक्रय किये गये (यह प्रक्रिया पुन: बट्टे के रूप में जानी जाती है) तथा विभागीय शेषों में प्राप्तियां तथा स्थाई नकद अग्रदाय जिन्हें स्त्रोतों की तरफ दर्शाया गया है। ऐसे निवेश का निवल राज्य सरकार के अंतिम नकद शेष (₹ 3,599 करोड़) का पूरक होता है।

1.4.3. रुपया जहां से आया :

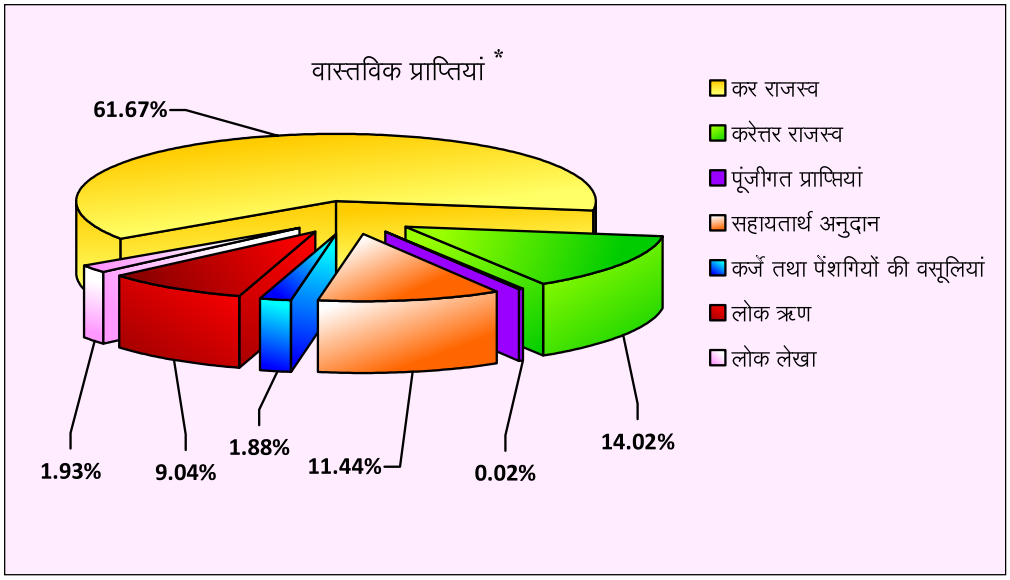

1.4.4. रुपया जहाँ गया :

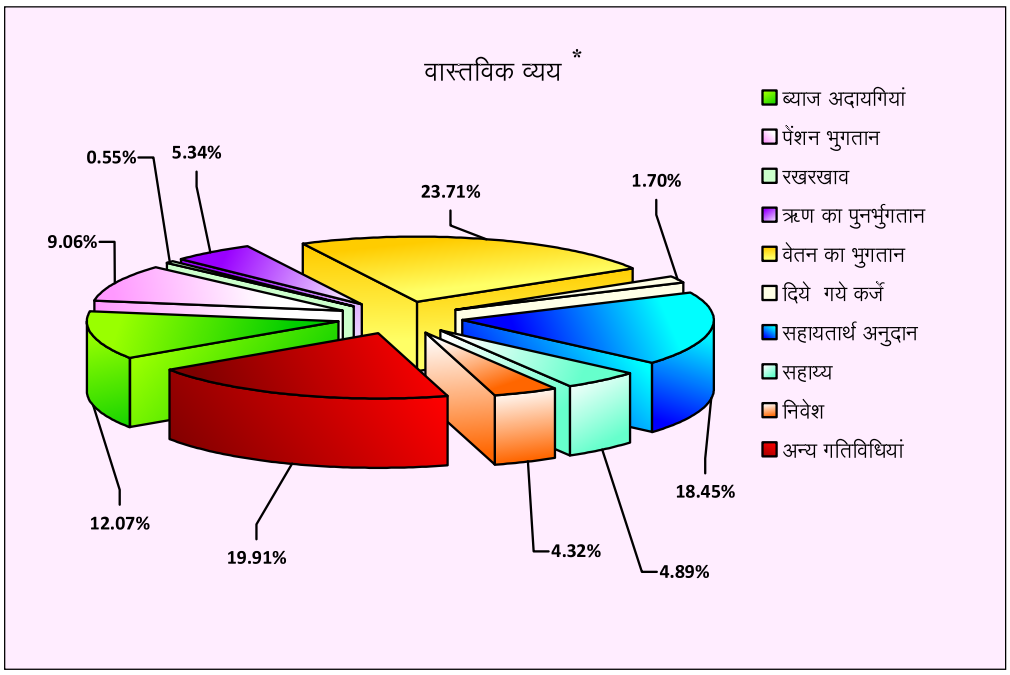

* टिप्पणी: उपरोक्त लोक लेखे घटक निवल लिये गये हैं।

1.5. लेखे की विशिष्टताएं

		आय–व्ययक अनुमान 2011–12	वास्तविक	वास्तविक का आय–व्ययक अनुमान से प्रतिशत	वास्तविक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत @
		(₹ करोड़ में)			
1.	कर राजस्व*	36,793	40,354	109.68	10.96
2.	करेत्तर राजस्व	6,438	9,175	142.51	2.49
3.	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	9,056	7,482	82.62	2.03
4.	राजस्व प्राप्तियां **(1+2+3)**	52,287	57,011	109.03	15.48
5.	पूंजीगत प्राप्तियां	6	16	266.67	0.01
6.	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	168	1,229	731.55	0.33
7.	निवल उधार और अन्य दायित्व	8,063	3,626	44.97	0.98
8.	पूंजीगत प्राप्तियां **(5+6+7)**	8,237	4,871	59.14	1.32
9.	कुल प्राप्तियां **(4+8)**	60,524	61,882	102.24	16.80
10.	आयोजना भिन्न व्यय	41,238	41,312	100.18	11.22
11.	राजस्व लेखे पर आयोजना भिन्न व्यय	41,223	41,238	100.04	11.20
12.	ब्याज अदायगियां आयोजना भिन्न व्यय कॉलम 11 में से	8,012	7,892	98.50	2.14
13.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना भिन्न व्यय	14	74	528.57	0.02
14.	आयोजना व्यय	19,286	20,570	106.66	5.58
15.	राजस्व लेखा पर आयोजना व्यय	10,711	12,416	115.92	3.37
16.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना व्यय	8,575	8,154	95.09	2.21
17.	कुल व्यय **(10+14)**	60,524	61,882	102.24	16.80
18.	राजस्व लेखे पर व्यय **(11+15)**	51,934	53,654	103.31	14.57
19.	पूंजीगत लेखे पर व्यय ** **(13+16)**	8,590	8,228	95.79	2.23
20.	राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (**+**) *** **(4-18)**	(+) 353	(+) 3,357	950.99	0.91
21.	राजकोषीय घाटा *** **[17-(4+5+6)]=7**	8,063	3,626	44.97	0.98

@ वर्ष के दौरान सी.एफ.सी. हेतु प्रावधान करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं।

* भारत सरकार से प्राप्त ₹ 14,977 करोड़ राज्य को निवल आगम का भाग के रूप मे शामिल हैं।

** पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 7,119 करोड़) तथा वितरित किये गये कर्जे और पेशगियां (₹ 1,109 करोड़) शामिल हैं।

*** राजस्व अधिशेष, राजस्व व्यय पर राजस्व प्राप्तियों का आधिक्य है। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (वितरित कर्जे और पेशगियां सहित) का राजस्व प्राप्तियों, कर्जे और पेशगियां की वसूलियां तथा अन्य प्राप्तियां पर रहे आधिक्य को राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1.6. अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	प्राप्तियां तथा व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे पोषित होता है तथा निधियों का व्यय, वित्तीय प्रबन्धन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान ढाँचे के संधारण में आवश्यक है तथा आदर्श रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) तथा कुल व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। यह अंतर यद्यपि, उधार द्वारा पोषित व्यय का सूचक है। आदर्श रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.6.1. राजस्व घाटा/अधिशेष का रूझान

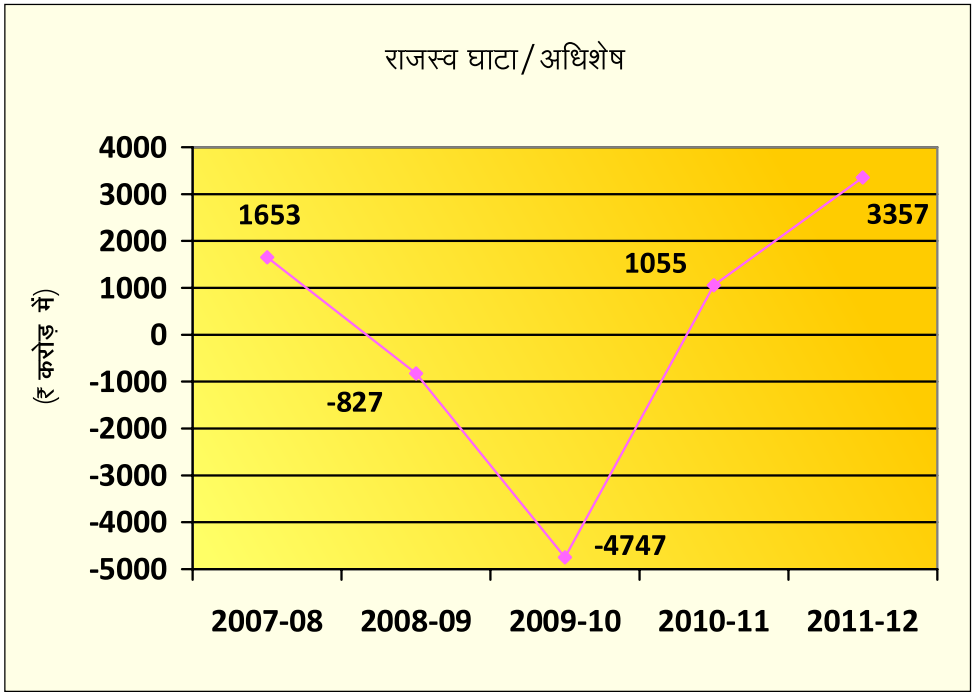

1.6.2. राजकोषीय घाटे का रूझान

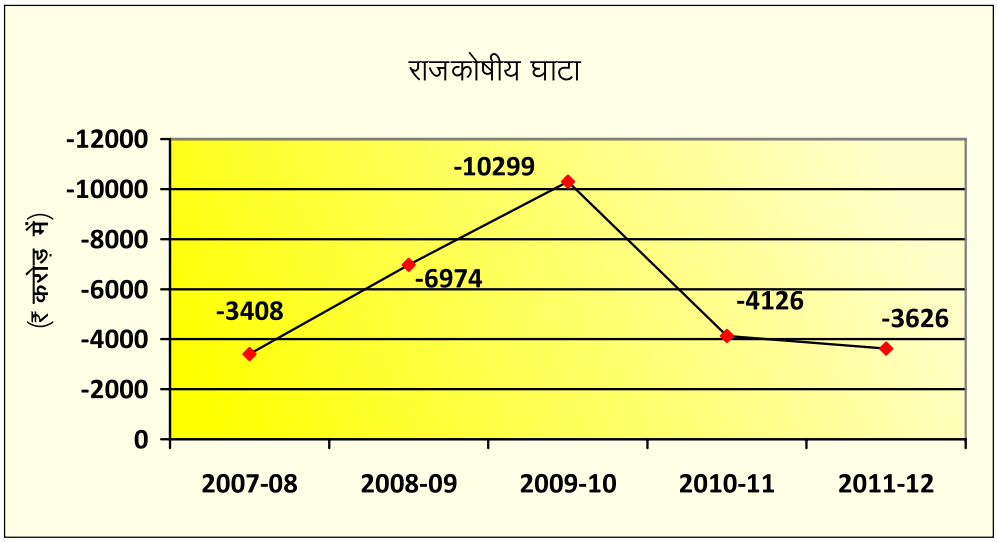

1.6.3. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया

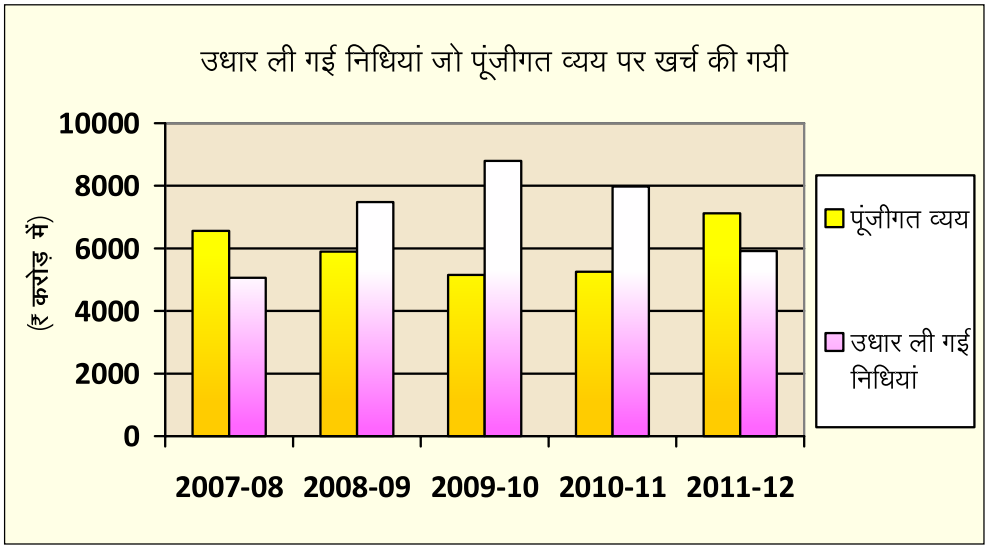

यह वांछित है कि उधार ली गई निधियों का पूर्ण उपयोग पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाये, तथा राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग मूलधन के पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज हेतु किया जाए। यद्यपि, राज्य सरकार ने चालू वर्ष में उधार ली गई निधियों (₹ 5,918 करोड़) से अधिक पूंजीगत लेखे (₹ 7,119 करोड़) पर व्यय किया । इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे से (₹ 1,201 करोड़) निधियों का उपयोग किया गया।

अध्याय 2

प्राप्तियां

2.1. प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। 2011–12 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 61,882 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोजित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि समिल्लित है।
सहायतार्थ अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है, जिसमें विदेशी सरकारों तथा संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त '' बाह्य सहायता '' सम्मिलित है। राज्य सरकार भी संस्थाओं जैसे पंचायती राज्य संस्थाएं, स्वायत्तशाषी निकायों आदि को सहायतार्थ अनुदान देती है।

राजस्व प्राप्ति के घटक (2011–12)

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक
क. कर राजस्व *	**40,354**
आय एवं व्यय पर कर	8,890
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	3,061
सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर	28,403
ख. करेत्तर राजस्व	**9,175**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	1,772
सामान्य सेवाएं	731
सामाजिक सेवाएं	568
आर्थिक सेवाएं	6,104
ग. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	**7,482**
योग– राजस्व प्राप्तियां	**57,011**

* भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मिलित है।

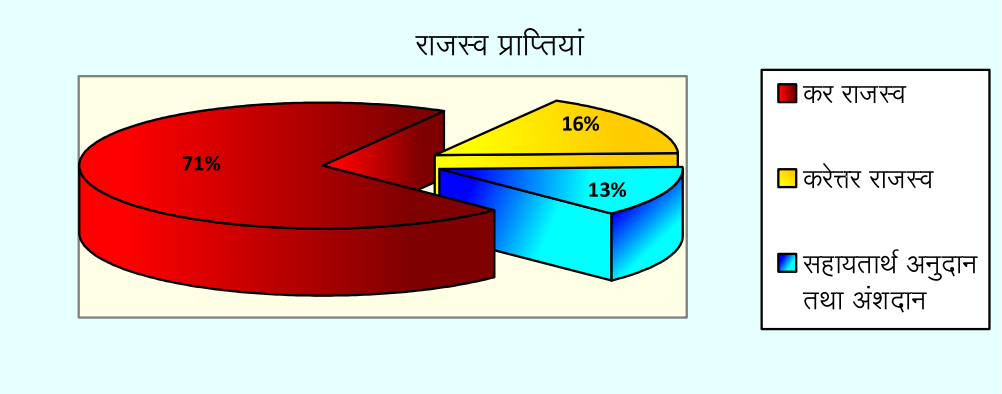

2.3. प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कर राजस्व	21,803 (11)	23,942 (10)	25,672 (10)	33,614 (10)	40,354 (11)
करेत्तर राजस्व	4,054 (2)	3,889 (2)	4,558 (2)	6,294 (2)	9,175 (2)
सहायतार्थ अनुदान	4,924 (3)	5,638 (2)	5,155 (2)	6,020 (2)	7,482 (2)
कुल राजस्व प्राप्ति	30,781 (16)	33,469 (14)	35,385 (14)	45,928 (14)	57,011 (15)
जीएसडीपी	**1,94,822**	**2,30,949**	**2,63,258**	**3,23,682**	**3,68,320**

नोट: कोष्ठक में आंकड़े जी. एस. डी. पी. की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

2011-12 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14% वृद्धि के उपरान्त राजस्व संग्रहण में 24% की प्रभावी वृद्धि थी। यद्यपि कर राजस्व (20%) में वृद्धि करेत्तर राजस्व (46%) की तुलना में कम थी। राज्य का स्वयं का राजस्व निश्चित कर संघटकों यथा 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर' (₹ 15,767 करोड़), 'राज्य उत्पाद' (₹ 3,287 करोड़), 'स्टाम्प तथा पंजीकरण'(₹ 2,651 करोड़), 'वाहनों पर कर' (₹ 1,927 करोड़) तथा 'विद्युत पर कर तथा शुल्क' (₹ 1,094 करोड़) उच्च रूझान को दर्शाता है।

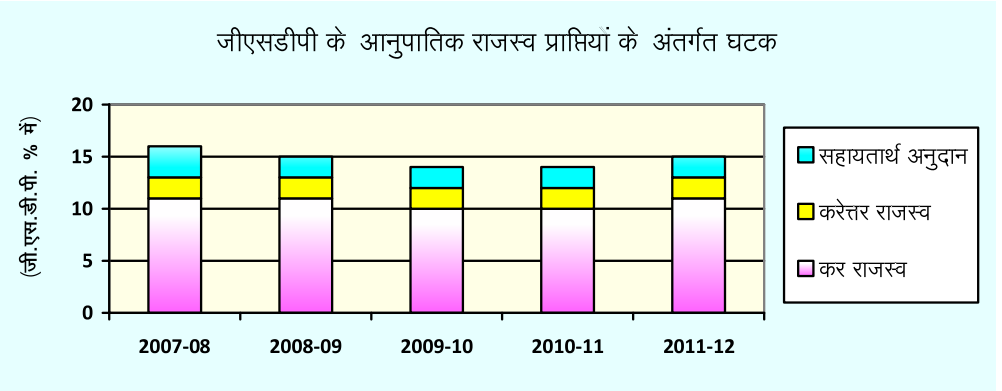

खण्डवार राजस्व कर

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आय एवं व्यय पर कर	4,523	4,803	5,932	7,680	8,890
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	1,754	1,750	1,651	2,464	3,061
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	15,526	17,389	18,089	23,470	28,403
कुल कर राजस्व	21,803	23,942	25,672	33,614	40,354

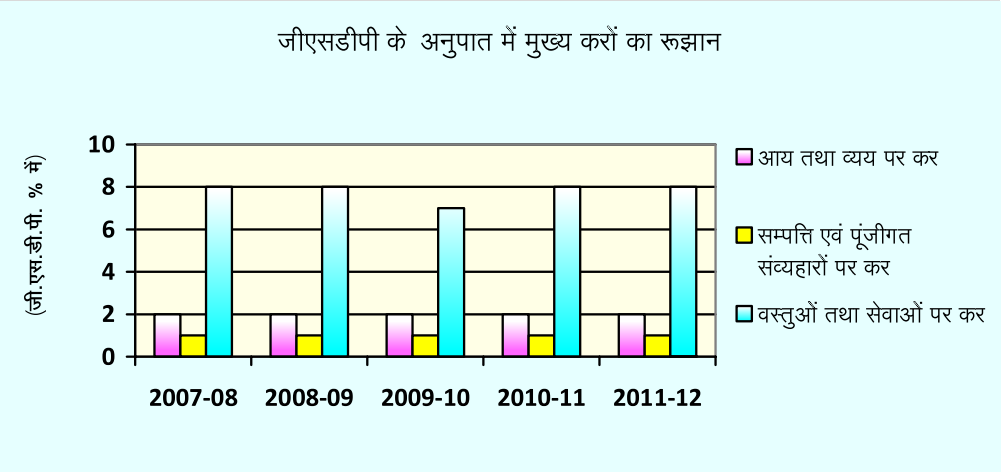

2.4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	केन्द्रीय करों का राज्यांश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			रुपये	जीएसडीपी पर प्रतिशता
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2007-08	21,803	8,528	13,275	7%
2008-09	23,942	8,999	14,943	6%
2009-10	25,672	9,258	16,414	6%
2010-11	33,614	12,856	20,758	6%
2011-12	40,354	14,977	25,377	7%

2.5. कर संग्रहण की दक्षता

क. सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रहण	1,754	1,750	1,651	2,464	3,061
संग्रहण पर व्यय	254	350	402	411	461
कर संग्रहण में दक्षता	14%	20%	24%	17%	15%

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रहण	15,526	17,389	18,089	23,470	28,403
संग्रहण पर व्यय	265	298	315	376	615
कर संग्रहण में दक्षता	2%	2%	2%	2%	2%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का मुख्य भाग बनाती है। कर संग्रहण क्षमता सराहनीय है। यद्यपि, सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर की संग्रहण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

2.6. गत पाँच वर्षों में केन्द्रीय करों के राज्यांश में रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निगम कर	2,706	2,951	3,810	5,025	5,895
आय पर निगम कर से भिन्न कर	1,816	1,853	2,123	2,656	2,994
धन पर कर	3	3	8	10	23
सीमा शुल्क	1,612	1,720	1,296	2,248	2,597
संघ उत्पाद शुल्क	1,539	1,500	1,043	1,635	1,680
सेवा शुल्क	852	972	978	1,282	1,788
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	..	..	..	..	..
संघ करों के राज्यांश	**8,528**	**8,999**	**9,258**	**12,856**	**14,977**
कुल कर राजस्व	**21,803**	**23,942**	**25,672**	**33,614**	**40,354**
कुल कर राजस्व पर संघ करों का %	**39%**	**38%**	**36%**	**38%**	**37%**

2.7. सहायतार्थ अनुदान

सहायतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित राज्य आयोजना भिन्न के लिए अनुदान सम्मिलित है। 2011–12 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 7,482 करोड़ नीचे दर्शाए अनुसार हैं:

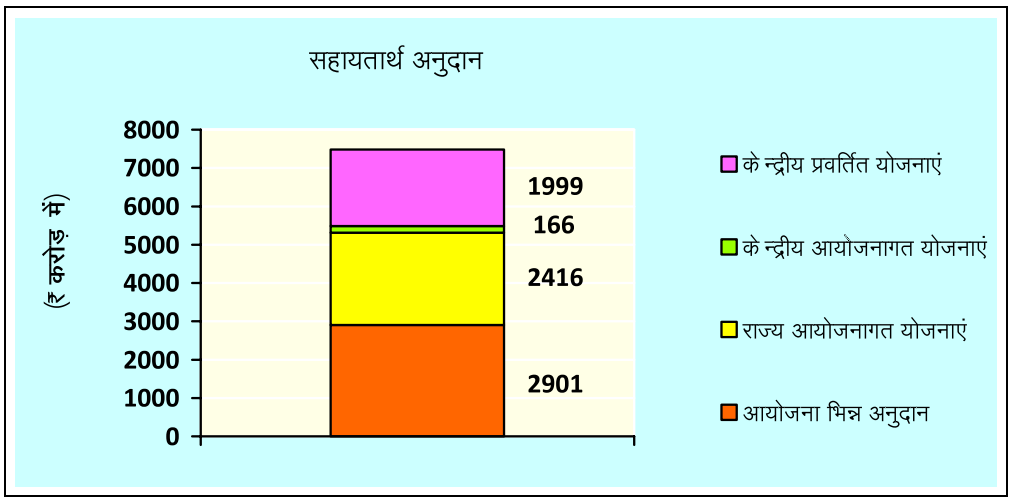

2.8. लोक ऋण

लोक ऋण (निवल) का गत 5 वर्षो का रूझान :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आन्तरिक ऋण	3,170	5,111	5,994	4,754	2,559
केन्द्रीय ऋण	47	(-) 66	(-) 142	(-) 94	(-) 131
कुल लोक ऋण	3,217	5,045	5,852	4,660	2,428

टिप्पणी : ऋण राशियां प्राप्तियों के अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करती है।

2011–12 में कुल ₹ 4,500 करोड़ के नौ ऋण 8.65 % से 9.24% की विभिन्न ब्याज दर पर लिये गये। इनमें से आठ ऋण वर्ष 2021 में तथा बाकी एक 2022 में चुकता होंगे।

वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार के कुल ₹ 5,581 करोड़ के आन्तरिक ऋण तथा ₹ 337 करोड़ के केन्द्रीय ऋण के विरूद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 7,119 करोड़ हुआ जो यह इंगित करता है कि अधिक पूंजीगत व्यय लोक लेखे से पूरित किये गये।

अध्याय 3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय संगठन को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय का प्रयोग स्थाई सम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ाने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे आयोजना भिन्न, आयोजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, ब्याज अदायगियां, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2. राजस्व व्यय

2011-12 के लिये ₹ 53,654 करोड़ का राजस्व व्यय बजट अनुमानों से ₹1,720 करोड़ अधिक था जो आयोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 1,705 करोड़ तथा आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 15 करोड़ अधिक होने के कारण रहा । इस वृद्धि को राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4724 करोड़ (9%) की वृद्धि के रूप में देखा जाये । राज्य सरकार ने बढ़े हुये राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए माह अगस्त 2011(₹ 224 करोड़) तथा मार्च 2012 (₹ 6,795 करोड़) में ₹ 7,019 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया गया।

गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय के विरूद्ध बजट अनुमानों की कमी नीचे दिखाई जा रही है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
बजट अनुमान	28,385	31,803	39,677	43,562	51,934
वास्तविक	29,128	34,296	40,132	44,873	53,654
अन्तर	(-) 743	(-) 2,493	(-) 455	(-) 1,311	(-) 1,720
बजट अनुमानों पर अन्तर का %	(-) 3	(-) 8	(-) 1	(-) 3	(-) 3

आय-व्ययक अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय के आधिक्य को राज्य सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत वचनबद्धता के रूप में देखा जाना चाहिये यदि

राजस्व आधिक्य नहीं हो तो कम से कम राजस्व के समकक्ष रहे। राजस्व व्यय का लगभग 56% वेतन (₹15,498 करोड़ पूंजी क्षेत्र में व्यय किये गये वेतन के ₹133 करोड़ को छोड़कर), ब्याज अदायगियां (₹ 7,892 करोड़) तथा पेंशन (₹ 5,920 करोड़) पर " वचनबद्ध " था।

वचनबद्ध तथा गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दिखायी जा रही है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
राजस्व व्यय	29,128	34,296	40,132	44,873	53,654
वचनबद्ध राजस्व व्यय	16,199	20,815	25,314	26,711	29,310
गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय	12,929	13,481	14,818	18,162	24,344

3.2.1. राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2007–12)

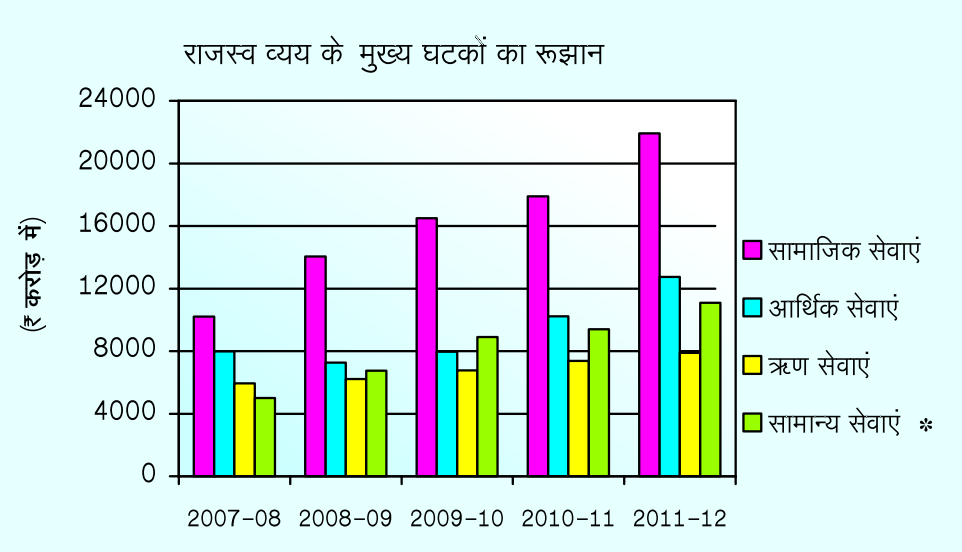

* सामान्य सेवाएं में मुख्य शीर्ष 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज अदायगियां) सम्मिलित नही है तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

गत पाँच वर्षों के दौरान व्यय सभी क्षेत्रों में बढ़ा है।

3.2.2. राजस्व व्यय का खण्डवार विवरण (2011–12)

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	1,077	2
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	461	1
वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	615	1
अन्य राजकोषीय सेवाएं	1	..
ख. राज्य के अंग	503	1
ग. ब्याज अदायगियां तथा ऋण सेवा	7,892	15
घ. प्रशासनिक सेवाएं	3,159	6
ङ पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	6,078	11
च. सामाजिक सेवाएं	21,928	41
छ. आर्थिक सेवाएं	12,744	24
ज. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	273	..
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**53,654**	**100**

3.3. पूंजीगत व्यय

2011–12 के लिए ₹ 7,119 करोड़ का पूंजीगत वितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2% था जो कि बजट अनुमानों से ₹ 1,431 करोड़ कम था (₹ 1,433 करोड़ आयोजना व्यय के अंतर्गत कम वितरण तथा आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 2 करोड़ से अधिक व्यय)।

3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

2011–12 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 587 करोड़ विभिन्न सिंचाई परियाजनाओं पर (₹ 401 करोड़ मुख्य सिंचाई, ₹ 41 करोड़ मध्यम सिंचाई तथा ₹ 145 करोड़ लघु सिंचाई), ₹ 931 करोड़ विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर, ₹ 1,083 करोड़ सड़क तथा सेतु निर्माण पर व्यय किये गये। राज्य सरकार ने ₹ 2,824 करोड़ विभिन्न कम्पनियों/निगमों/सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में भी निवेश किये । सरकारी निवेश का बड़ा हिस्सा विभिन्न बिजली कम्पनियों (₹ 2,459 करोड़) में किया गया।

3.3.2. गत पाँच वर्षों के पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
सामान्य सेवाएं	984 (14)	(-) 145	(-) 577	155 (3)	204 (3)
सामाजिक सेवाएं	2,800 (41)	3,088 (49)	2,506 (44)	1,836 (33)	1,997 (24)
आर्थिक सेवाएं	2,771 (41)	2,957 (47)	3,246 (57)	3,260 (59)	4,918 (60)
कर्जे तथा पेशगियां	288 (4)	340 (5)	498 (9)	262 (5)	1,109 (13)
कुल योग	**6,843**	**6,240**	**5,673**	**5,513**	**8,228**

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शायी गयी राशियां कुल पूंजीगत व्यय पर प्रतिशत दर्शाती हैं।

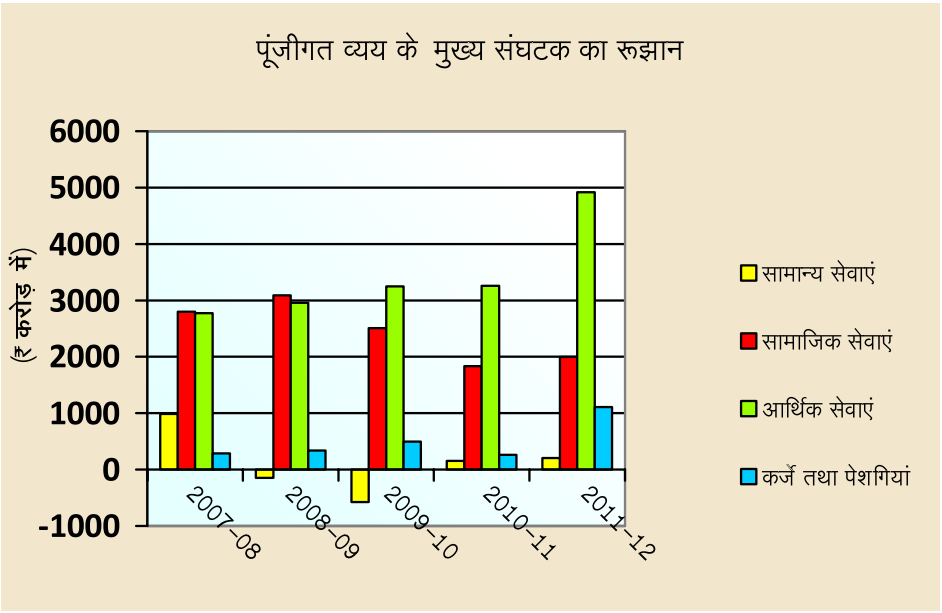

अध्याय 4

आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

4.1. व्यय का वितरण

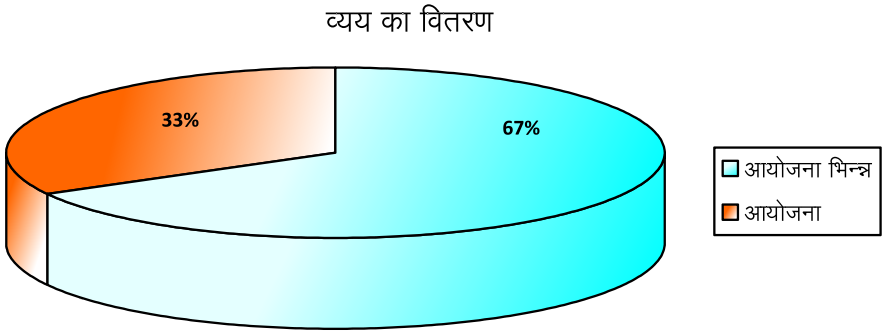

4.2. आयोजना भिन्न व्यय

वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजना भिन्न व्यय, ₹ 41,312 करोड़ (₹ 41,238 करोड़ राजस्व तथा ₹ 74 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम सहित पूंजीगत के अंतर्गत) के कुल वितरण के 67 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

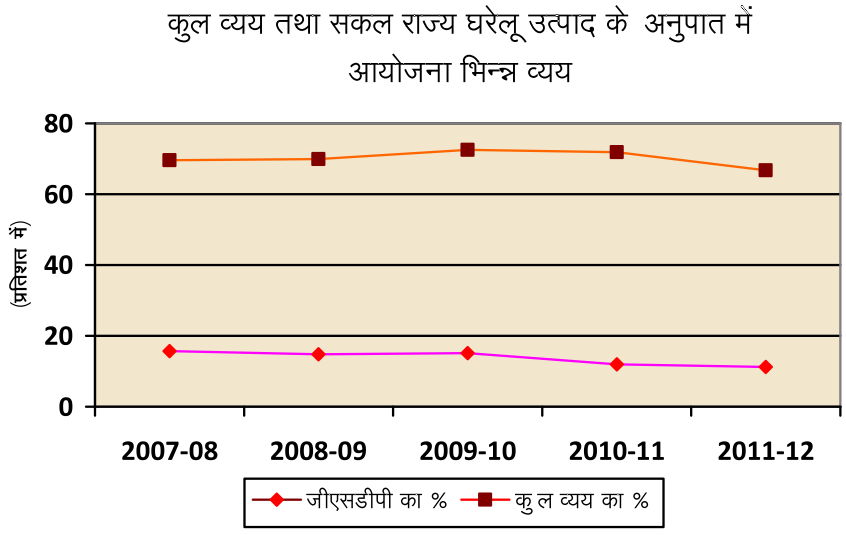

4.3. आयोजना व्यय

2011–12 के दौरान, आयोजना व्यय (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना सहित) ₹ 20,570 करोड़ (₹ 17,286 करोड़ आयोजना के अन्तर्गत, ₹ 2,233 करोड़ केन्द्रीय प्रवर्तित योजनागत योजना के अन्तर्गत तथा ₹ 1,051 करोड़ कर्जे तथा पेशगियां के अंतर्गत) कुल वितरण के 33 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

कुल व्यय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में आयोजना व्यय

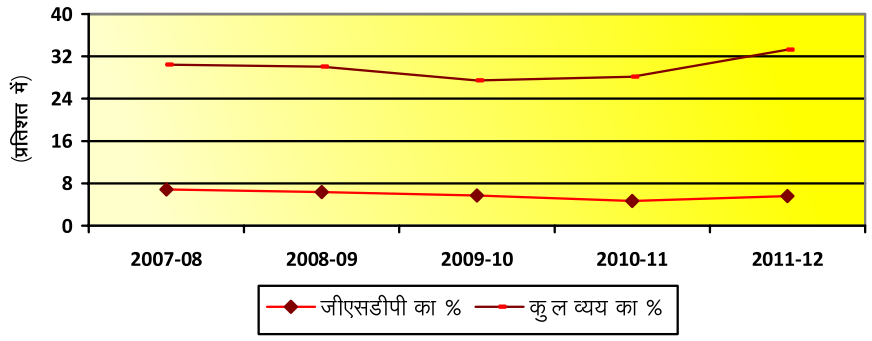

4.3.1. पूंजीगत लेखे के अंतर्गत आयोजना व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल पूंजीगत व्यय	6,843	6,240	5,673	5,513	8,228
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	5,810	6,420	6,282	5,420	8,154
कुल पूंजीगत व्यय पर पूंजीगत व्यय (आयोजना) का %	85	103	111	98	99

4.3.2. कर्जे एवं अग्रिम के अंतर्गत आयोजना व्यय

कर्जे तथा अग्रिम का महत्वपूर्ण वितरण निम्नानुसार है :

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्जे	5	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को कर्जे
6217. शहरी विकास के लिए कर्जे	17	लघु तथा मध्यम कस्बों के समग्र विकास के लिए स्थानीय निकायों को कर्जे

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज	1	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारिता निगम को कर्जे
6403. पशुपालन के लिए कर्जे	2	राजस्थान पशु स्वास्थ्य एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को कर्जे
6425. सहकारिता के लिए कर्ज	31	समेकित विकास परियोजना, समग्र विकास परियोजना, स्पिन फेड/कॉटन कॉम्पलैक्स तथा ए. आर. सी. की विशिष्ट योजनाओं के ऋण पत्र के लिए सहकारी समितियों को कर्जे
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	995	विभिन्न विद्युत कम्पनियों को कर्जे

4.4. बचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वचनबद्ध व्यय	16,199	20,815	25,314	26,711	29,310
राजस्व व्यय	29,128	34,296	40,132	44,873	53,654
राजस्व प्राप्तियों पर वचनबद्ध व्यय का %	53	62	72	58	51
राजस्व व्यय पर वचनबद्ध व्ययों का %	56	61	63	60	55

वचनबद्ध व्यय का रूझान

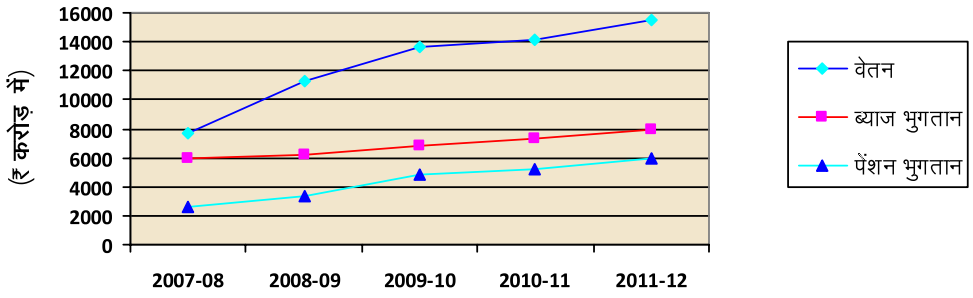

वचनबद्ध व्यय पर बढ़ता रूझान सरकार को विकास कार्यों पर कम व्यय को मजबूर करता है।

अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
राजस्व दत्तमत भारित	45,055 *8,083*	4,678 *19*	49,733 *8,102*	46,335 *7,975*	(-) 3,398 *(-) 127*	3,136 146
पूंजी दत्तमत भारित	9,582 ..*	1,568 ..	11,150 ..*	7,807 ..$	(-) 3,343 ..@	2,790 ..@
लोक ऋण भारित	*3,474*	*16*	*3,490*	*3,490*	..	..#
कर्जे तथा पेशगियां दत्तमत	40	738	778	1,109	(+) 331	7
योग	**66,234**	**7,019**	**73,253**	**66,716**	**(-) 6,537**	**6,079**

* ₹ 0.59 लाख मात्र
@ ₹ 0.56 लाख मात्र
$ ₹ 0.03 लाख मात्र
# ₹ 5.16 लाख मात्र

5.2. गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	ऋण एवं पेशगियां	
2007-08	(-) 2,597	(-) 720	(-) 184	(-) 129	(-) 3,630
2008-09	(-) 1,371	(-) 975	(-) 102	(-) 41	(-) 2,489
2009-10	(-) 1,959	(-) 2,699	(-) 2	(-) 6	(-) 4,666
2010-11	(-) 2,455	(-) 3,091	..	(+) 147	(-) 5,399
2011-12	(-) 3,525	(-) 3,343	..	(+) 331	(-) 6,537

5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत निश्चित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वित न होने अथवा धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है।

कुछ अनुदानों में निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत नीचे दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
009	वन (पूंजी)	1	35	59	49	20
014	बिक्री कर (राजस्व)	18	47	14	9	13
019	लोक निर्माण (पूंजी)	14	17	48	22	109
022	क्षेत्रीय विकास (पूंजी)	36	32	71	23	52
027	पेय जल योजना (पूंजी)	351	223	1,071	705	593
035	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं (राजस्व)	604	1	3	96	28
046	सिंचाई (पूंजी)	173	230	186	182	171
051	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना (राजस्व)	12	22	48	17	203

2011-12 के दौरान ₹ 7,019 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 10%) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुई, जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आवंटन के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत भी रही। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
012	अन्य कर	राजस्व	150	11	149
019	लोक निर्माण	पूंजी	252	52	194
020	आवासन	पूंजी	7	8	4
028	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	राजस्व	71	5	65
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	पूंजी	57	17	52
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	राजस्व	1,273	300	1,029
038	लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	पूंजी	18	7	17

अध्याय 6

सम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1. सम्पत्तियां

लेखों का वर्तमान प्रारूप सरकारी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन, केवल प्राप्ति/क्रय करने का वर्ष छोड़कर सरलता से प्रदर्शित नहीं करता । इसी प्रकार, जबकि लेखे चालू वर्ष में बढ़े दायित्वों का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले समग्र दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल वर्तमान ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर जैसे सीमित प्रदर्शन को छोड़कर।

2011–12 के अंत में गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश–पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹13,921 करोड़ था। यद्यपि वर्ष के दौरान निवेश पर लाभांश ₹ 58 करोड़ (अर्थात् 0.41%) प्राप्त हुआ था। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 2,824 करोड़ से निवेश बढ़ा जबकि लाभांश से आय केवल ₹ 37 करोड़ से बढ़ी।

31 मार्च 2011 को रोकड़ शेष ₹ (–) 26 करोड़ था तथा मार्च 2012 के अंत तक ₹ 35 करोड़ तक बढ़ा ।

6.2. ऋण एवं देयता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर निश्चित सीमा के अन्दर, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई हो, उधार लेने के लिए अधिकृत करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है (आंकड़े वर्ष के अंत में अग्रेषित शेष है) :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से %	लोक लेखा *	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से %	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से %
2007-08	53,721	28	23,417	12	77,138	40
2008-09	58,766	25	25,257	11	84,023	36
2009-10	64,618	25	26,915	10	91,533	35
2010-11	69,278	22	30,007	9	99,285	31
2011-12	71,706	20	34,854	9	1,06,560	29

* उचन्त एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर।

वचनबद्ध दायित्व का प्रवाह

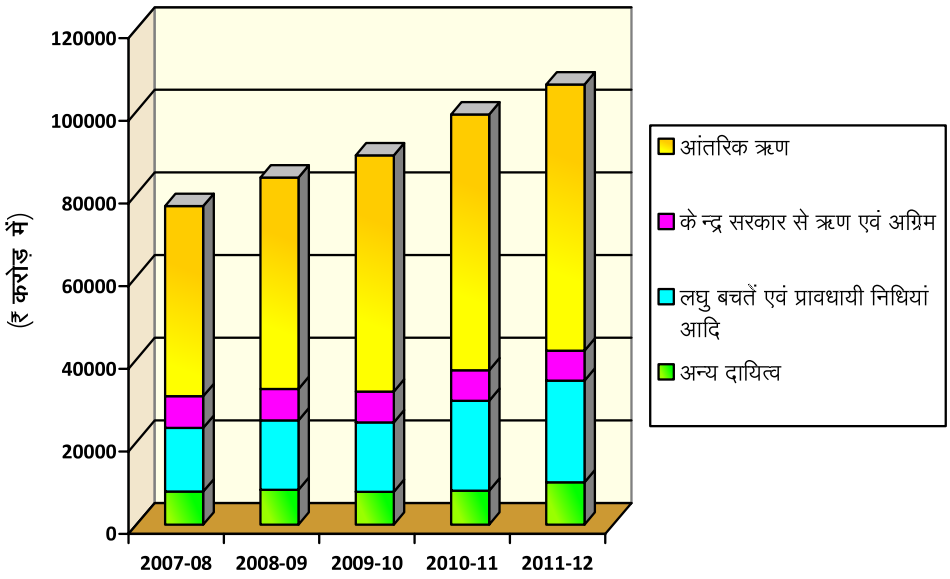

6.3. गारन्टियां

सीधे कर्जे उगाहे जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न आयोजनागत योजाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उगाहे गये कर्जों के लिये गारन्टी भी देती है। ये गारन्टियां राज्य के बजट के बाहर प्रायोजित की जाती है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, इत्यादि द्वारा लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान (मूल तथा इस पर ब्याज का भुगतान) के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	गारन्टी की अधिकतम राशि (मूलधन मात्र)	वर्ष के अंत में बकाया राशि
		मूल धन
2007-08	37,029	19,769
2008-09	46,080	27,764
2009-10	63,621	39,068
2010-11	88,112	50,691
2011-12	97,566	60,711

टिप्पणी: विवरण संख्या 9 में विवरण उपलब्ध है तथा राज्य सरकार तथा जहां उपलब्ध हुई, संबंधित संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

गारन्टी फीस 1% प्रतिवर्ष पर संगणित की जाती है। 2011–12 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 157.47 करोड़ गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरित किये तथा ₹ 360.28 करोड़ के कुल शेष में से ₹ 187.29 करोड़ निवेश किये गये।

अध्याय 7

अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम

वर्ष 2011–12 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे तथा अग्रिम ₹ 3,198 करोड़ थे। 2011–12 के दौरान ₹ 1,229 करोड़ कर्ज तथा अग्रिम के पुनर्भुगतान बाबत प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 1,208 करोड़ राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड (₹ 24 करोड़) सहकारिता (₹ 44 करोड़) तथा विद्युत कम्पनियां (₹ 1,140 करोड़) के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिये प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिये मददगार होगें।

7.2. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 26	(+) 35	(+) 61
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल)	5,709	9,308	(+) 3,599
अन्य रोकड़ शेष	7	7	..
(क) विभागीय शेष	1	1	..
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	6	6	..
आरक्षित निधियों के शेष से निवेश	398	435	(+) 37
(क) गारन्टी मोचन निधि	148	187	(+) 39
(ख) अन्य निधियां	250	248	(-) 2
ब्याज प्राप्तियां *	187	598	(+) 411

* इसमें गारण्टी मोचन निधि में से किये गये निवेश पर ब्याज सम्मिलित है।

रोकड़ शेष तथा पृथक आरक्षित निधियों के शेषों के निवेश के उपयोग करने के बावजूद वर्ष 2011–12 के अंत में राज्य सरकार का अंतिम रोकड़ शेष सकारात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति 220% से बढ़ गई थी।

7.3. स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

गत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायतार्थ अनुदान वर्ष 2007–08 में ₹ 5,236 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 12,337 करोड़ हो गयी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को दी गई अनुदान (₹ 7,558 करोड़) वर्ष के दौरान दी गई कुल अनुदान का 61% है।

गत पाँच वर्षों में जारी की गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं तथा नगर निगमों	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां	अन्य	योग
2007-08	618	794	2,040	1,784	**5,236**
2008-09	1,909	979	1,633	1,998	**6,519**
2009-10	678	1,052	3,342	3,063	**8,135**
2010-11	621	1,130	3,744	4,721	**10,216**
2011-12	1,116	1,340	5,102	4,779	**12,337**

7.4. लेखों का अंक मिलान

लेखों की सटीकता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के बीच, विभाग के उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर अंकमिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान सभी 374 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल व्यय राशि ₹ 65,372 करोड़ (निवल) का अंकमिलान किया । इसी प्रकार 132 नियंत्रण अधिकारियों में से 121 ने 95.95 प्रतिशत तक सरकारी प्राप्तियों का अंक मिलान किया अर्थात् वर्ष 2011 – 12 के लिये कुल प्राप्ति ₹ 54,718 करोड़ के विरूद्ध ₹ 57,026 करोड़।

विवरण	कुल नियंत्रक अधिकारी	पूर्ण अंकमिलान	अंक मिलान नहीं
व्यय	374	374	..
प्राप्तियां	132	121	11
योग	506	495	11

7.5. व्यय की प्रचुरता

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतया अंतिम माह में व्यय की प्रचुरता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जायेगा तथा इससे बचा जाना चाहिये। यद्यपि, कुछ चयनित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2012 में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51.78% से 100% के बीच व्यय हुआ है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011–12 के चार त्रैमासिक के दौरान व्यय का प्रवाह उक्त दर्शाये शीर्षों में निम्नलिखित था :–

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान	2011–12 के कुल व्यय के संदर्भ में मार्च 2012 का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)						
2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.06	0.25	0.11	157.61	158.03	157.51	99.67
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1.20	1.31	1.91	18.40	22.82	15.59	68.32
3435	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	0.27	2.63	0.63	13.04	16.57	12.83	77.43
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.83	1.67	18.37	56.22	77.09	55.33	72.93
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.12	0.05	0.67	0.84	0.52	61.90
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2.83	-1.96	0.68	2.63	4.18	2.37	56.70
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7.20	14.79	35.63	130.93	188.55	1,18.41	62.80
4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	25.89	25.89	25.06	96.79
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.14	0.35	1.57	6.67	8.73	4.52	51.78
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	4.87	18.18	6.63	55.90	85.58	47.51	55.52
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	583.50	347.12	26.07	15,02.31	24,59.00	13,96.28	56.78
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	0.00	0.00	16.57	16.63	16.57	99.64

4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	100.00
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.06	0.38	20.67	21.10	20.46	96.96
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	18.85	2.48	37.56	59.09	31.10	52.63
6401	फसल कृषि- कर्म के लिए कर्जे	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	18.55	98.93
6403	पशुपालन के लिए कर्जे	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	1.94	100.00

7.6. कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले प्रारम्भिक लेखों की स्थिति संतोषजनक है। फिर भी, लोक निर्माण कार्य तथा वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों की स्थिति में सुधार होना आवश्यक है।

7.7. सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल

जब अग्रिम धन के की आवश्यकता होती है या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सही राशि की आवश्यकता की गणना करने में समर्थ नही होने पर वे बिना समर्थित वाउचरों के एसी बिलों के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अनुमत्य है। ऐसे एसी बिलों को अधिकतम 90 दिनों में डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण से समाशोधित करना होता है। 31 मार्च 2012 को वास्तव में ₹ 63 करोड़ के 441 डीसी बिल बकाया थे। इसमें एक साल से अधिक, राशि ₹ 24 करोड़ के 147 डीसी बिल सम्मिलित हैं।

7.8. अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा दस करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न अपूर्ण परियोजनाएं, जो जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जन-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीन हैं, पर वर्ष 2011-12 तक कुल ₹ 79,92.73 करोड़ का व्यय किया गया। यद्यपि लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़कें) के अन्तर्गत ₹ 8.64 करोड़ की परियोजनाओं/कार्यों पर ₹ 3.63 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कार्य रोक दिया गया। इसी प्रकार जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत ₹ 8.68 करोड़ के कार्यों पर ₹ 4.96 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कार्य रोक दिया गया।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302005

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर © 2751352, 2751417